सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 73/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामलाल पुत्र स्व. माधू माली निवासी गोपालपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व. माधू माली
2. मिश्रीलाल पुत्र स्व. माधू माली
3. निवासीगण गोपालपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर राजस्थान
3. तहसीलदार, तहसील केकड़ी
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 11.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प प्रान्हेडा में पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,92ए,188,209 राज. काश्त. अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4773 व 4774 कुल रकबा 2.66 हैक्ट भूमि प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज खातेदारी है जो कि वादी व प्रतिवादीगण की पूर्व में पुश्तेनी आराजीयात थी जिसके वादी ने जमाबन्दी संवत 2024–27 की जमाबन्दी में उक्त आराजी के साबिक नम्बर 450 व 451 जो कि माधू वल्द रूघनाथ कौम माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी तथा वर्किंग जमाबन्द संवत 2041 में भी उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पिता माधू के नाम दर्ज थी। सेटलमेन्ट से प्राप्त नये रिकॉर्ड में समस्त आराजी अकेले जगदीश के नाम दर्ज खातेदारी कर दी गई जो कतई गलत है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से अप्रार्थीगण जानबूझकर प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात पर कब्जा कर प्रार्थी को बैदखल करने पर आमादा है। लिहाजा उन्हे जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में उसके हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से ओमप्रकाश चौधरी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। प्रार्थी ने पुनः फर्द दस्तावेज पेश किये जिन्हे रिकॉर्ड पर लिया गया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट प्रान्हेडा में पेश हुई जहां पक्षकारान उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4773 व 4774 कुल रकबा 2.66 हैक्ट भूमि प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज खातेदारी है जो कि वादी व प्रतिवादीगण की पूर्व में पुश्तेनी आराजीयात थी जिसके वादी ने

जमाबन्दी संवत 2024–27 की जमाबन्दी में उक्त आराजी के साबिक नम्बर 450 व 451 जो कि माधू वल्द रूघनाथ कौम माली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज थी तथा वर्किंग जमाबन्द संवत 2041 में भी उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पिता माधू के नाम दर्ज थी। सेटलमेन्ट से प्राप्त नये रिकॉर्ड में समस्त आराजी अकेले जगदीश के नाम दर्ज खातेदारी कर दी गई जो कतई गलत है। चूकि प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का भी 1/3 हिस्सा है। जिसे बैदखल किये जाने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी ने निम्न दस्तावेज पेश किये है–

1. सजरा प्रमाण पत्र द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सूंपा।
2. ग्राम प्रान्हेडा की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता नम्बर 273 की जमाबन्दी।
3. वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 खाता नम्बर 435–436।
4. मृत्यु प्रमाणपत्र माधू माली।
5. मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी संवत 2024–27 ग्राम प्रान्हेडा खाता नम्बर 378।

अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने जवाब दावे में अंकित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार योग्य नही है तथा प्रार्थी ने जो सजरा पेश किया है वह गलत है। स्व. माधू के दो पुत्रियां ओर थी जिनको प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाने से दावा चलने योग्य नही है। अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के क्रम में अन्य कोई दस्तावेज आदि पेश नही कियें है। केवल मात्र जवाब दावा में अंकन कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने की प्रार्थना की है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सूना। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी, वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 व जमाबन्दी संवत 2024–27 के अनुसार प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी होना जाहिर होता है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा भी होना जाहिर है। हाल रिकॉर्ड में उपरोक्त आराजी अप्रार्थी 1 के नाम होने से प्रार्थी को बैदखल करने व उसके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता। यदि वर्तमान मे अप्रार्थीगण को रोका नही गया तो प्रकरण में अन्य मुकदमेंबाजी होने से या वाद विवाद होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता। प्रार्थी का प्रेमाफेसाई केस होने से प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4773 व 4774 कुल रकबा 2.66 हैक्ट भूमि का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी 1 व 2 को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तावाद विचाराधीन होने तक प्रार्थी के हिस्से की आराजीयात में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही बैदखल करें तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि के मुताबिक किसी प्रकार का रहन, बैचान, बक्षीस या अन्य प्रकार से अन्तरण नही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी